महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

पत्र-संख्या-आई0टी0- पावर अर्थिंग कनेक्टिविटी-मानीटरिंग/(2017-18)/ 434 /वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :: दिनांक :: 08 जून, 2017

महोदय,

वाणिज्य कर विभाग में GST 01 जुलाई, 2017 से प्रत्येक दशा में लागू होना प्रस्तावित है। सर्वश्री एयरटेल संस्था को प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग के सभी स्थानीय कार्यालयों में अतिरिक्त लीज लाइन कनेक्टिविटी स्थापित की जा रही है। AIRTEL द्वारा अवगत कराया गया है कि कई लोकेशनों पर पावर एवं अर्थिंग उचित न होने के कारण लीज लाइन कनेक्टिविटी हेतु उपकरण जैसे राउटर एवं मोडम आदि के सुचारु रुप से संचालन हेतु स्थापित किया जाना सम्भव नही है। इन उपकरणों को दी जा रही विद्युत आपूर्ति Phase से Neutral - 220v , Phase से Earth - 218-222volt तथा Neutral से Earth <2volt होनी चाहिये। इस हेतु लोकेशन पर जहाँ Mpls लीज लाइन के उपकरण स्थापित है वहाँ पर अर्थिंग उचित रुप से होनी चाहिये।

इस सम्बन्ध में पूर्व में भी BSNL द्वारा प्रदान की जा रही लीज लाइन कनेक्टिविटी हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या 961 दिनांक 03-02-2016 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे कि Mpls लीज लाइन के उपकरणों को दी जा रही विद्युत आपूर्ति Phase से Neutral - 220v , Phase से Earth - 218-222volt तथा Neutral से Earth <2volt होनी चाहिये अन्यथा नेटवर्किंग से सम्बन्धित उपकरण माडम, राउटर आदि फूक जायेगें। परन्तु आज भी जोन के अन्तर्गत कई लोकेशन्स पर पावर, अर्थिंग की समस्या विद्यमान है। अत: अनुरोध है कि अपने जोन से सम्बन्धित समस्त लोकेशन्स पर प्रथमिकता के आधार पर पुन: पावर, अर्थिंग की जॉच करा ली जाये, जिन लोकेशन्स पर पावर, अर्थिंग उपरोक्त दिये गये पैरामीटर के अनुसार नही है, पावर अर्थिंग की समस्याऐ वास्तव में विद्यमान है, तो उन लोकेशन्स के नाम की सूची लौटती डाक से एवं ई-मेल के माध्यम से **http://ctithqlu-up@nic.in** पर दिनांक 13-06-2017 तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

08/06/17

(अनूप कुमार माहेश्वरी)
ज्वाइन्ट कमिशनर (आई0टी0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।